

नामनी पत्रक

थाना:- EON/ACB

अपराध क्रमांक:- 9/2015

दिनांक समारंभान जती:-

जिला रायपुर
धारा:- 13(1) डी, (क) 13(2) एच. एच. एच.
188, 120-B, FRC.

12.02.2015 को 16.30 बजे बजरंग
बली मंदीर के पास के के रोड मोदहापारा

स्थित अरविन्द धुव का मकान
नाम जिससे सम्पत्ति जप्त अरविन्द धुव शो गगेश सिंह धुव
की गयी - उम्र 44 निठ बजरंग मंदीर के पास
मोदहापारा

नाम पंचसाक्षी गण :- 1) गजेश कुमार पाण्डे शो एल. पी. पाण्डे
उम्र 49 निठ 29 A एच. एच. सी. एल.
कालोनी रुआ बांधा भिलाई
2. सतीष एम. जेडब शो एम. डे. जेडब
उम्र 47 निठ एम. आई. जी. 1/9। हुडडा
भिलाई

नाम विवेचन - निरीक्षक आर. के. दुबे
विवरण:- एक मेहरून रंग की इलीमगद शासन की 2014
की गायरी जिसमें अरविन्द धुव स्टेनोटाथपिस्ट हितवादप्रेम
अवंति विहार रायपुर निवासी हैं। गायरी में 0 से लेडर 105
जिसमें पेज नं. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, पन्नों पर रुपये के से
के लेन देन का हिाब लिखा लिख दिमा गया है।

एक रजिस्ट्री दस्तवेज जिसमें विक्रेता संजय अग्रवाल उम्र 53
पिता पवन अग्रवाल निवासी कम स्टैंड अभनपुर जिला रायपुर से
गवाह जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता उम्र 80 अग्रवाल निवासी -
तिलदा तथा अरविन्द सिंह धुव पिता गगेश सिंह धुव
निवासी मोदहापारा के अमक्षा के ता जी. एच. शिन्धारे डी
शो भगवती रेड्डी निवासी शिवानन्द नगर स्वमतसाई वारा -
का रकबा 0.04 से से 80X50 = 4000 वर्ग फुट जमीन को
5,60,000 रुपये नगर के क्रय डिये जाने का उल्लेख है
तथा मुद्रांक शुल्क रु. 11,57,50 रुपये के भुमिका

सत्यापित प्रतीति
(एस. डी. देवस्थान)
निरीक्षक इ. ओ. डब्ल्यू. प्रेमचंद
रायपुर (ह. ग.)

11 July

12/7/2015

12/7/2015

जल्दी पत्र

बाजार भाव 18,52,000 रुपये लेख है। रजिस्ट्री विवेक दिनांक 7.11.2014 को निष्पादित किया गया तथा दिनांक 15.11.14 को पटवारी द्वारा प्रमाणिकरण किया गया है।

③ अरविन्द प्युव की डायरी में पृष्ठ से रखे गये 30 नंग छोटे बड़े कागज जिनपर हस्त लिपि में एवं कंप्यूटर तय से रुपये से लेने देने का ठिकाना दिताब लिखा है हिसाब लिताब अलग अलग तिथियों में लिखा गया है तथा अन्य दस्तावेज सम्पत्ति से स्वनिष्पत्ति सम्बंधी सिमरत के मधुरिमा सुक्ला के अशेषा रतन स्थित गुडान का उल्लेख है। उपरोक्त दस्तावेज वजह मधुरिमा में जलत कर कब्जे में लिये गये।

हस्ताक्षर गवाह

1) M. J.

2) 12/11/15

हस्ताक्षर जिससे जलत किया गया

(Signature)

हस्ताक्षर विवेचक

3

(वकालत)

12/11/2015

एक प्रति प्राप्त किया

(Signature)

11/11/15

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थली)

निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / एस.टी. रायपुर (छ.ग.)